



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddu@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



D.F.A
30/09/2023

पत्रांक- 638 / FP/UK/ROAD/67235/2021 : देहरादून: दिनांक: 02/10/ सितम्बर 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय-जनपद-पिथौरागढ़ के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No FP/UK/ROAD/67235/2021)।

सन्दर्भ-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/११९/२०२१/एफ०सी०/४३९, दिनांक:-३०.०६.२०२३ ।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयकित प्रकरण पर दिनांक-३०.०६.२०२३ द्वारा सचूना चाही गयी थी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा पत्र/दिनांक २०.०९.२०२३ (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:-

क्र. सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The State Govt. should provide the documents related to earlier approval that was informed to have been accorded in the year 1995.	विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय कार्यालय रिकार्ड में संधारित सूचना के अनुसार भारत सरकार के आदेश सं० ८बी/०९/७११/९४/एफ०सी०/१४२९ दिनांक ०९.११.१९९५ तथा उ०प्र० शासन का पत्रांक जी०आई० ४०५/१४-२-९५-६००(४८)/१९९४ दिनांक ०३.०१.१९९६ द्वारा रांथी तक हल्के वाहन मार्ग नाम से स्वीकृति प्राप्त है। उक्त आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।(संलग्नक-०१)
2	The DFO shall inspect the CA area and submit a report regarding suitability of the site for planting 1000 tree per ha.	सी०ए० हेतु नवीन क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र/मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-०२)
3	The concerned DFO shall certify that the existing proposal includes the width of the existing road for which approval was accorded in the past.	उक्त प्रस्ताव में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित ०९ मी० चौड़ाई में पूर्व से स्वीकृत चौड़ाई सम्मिलित है।(संलग्नक-०३)

4 The muck dumping point near the Nallah shall be shifted to an appropriate site on non-forest land having lesser to moderate slope to avoid the rolling down of the muck or alternatively the area of second site selected for muck dumping be extended to accommodate excess muck which was to be accommodated in the first site.

प्रस्तावक विभाग द्वारा मक डम्पिंग हेतु चयनित दूसरी साईट को extend करके मलवा निस्तारण का प्लान पुनः गठित किया गया है, जिसे पार्ट-1 में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड कर दिया गया है।(संलग्नक-04)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र/दिनांक 20.09.2023 द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
(आर०के०मिश्र) 08/10

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 638 / FP/UK/ROAD/67235/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट(पिथौरागढ़)।

(आर०के०मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।